न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –48/2017 जिला सीकर

1. भगवाना पुत्र श्री नानू जाति जाट, निवासी– ग्रम नेहरों की ढाणी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 4.1.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री लाल चन्द जाट
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक– 29.5.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के आदेश दिनांक 4.1.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 25.9.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला , जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ. /2016/3304 दिनांक 28.12.16 द्वारा प्रस्ताव ग्रम नेहरों की ढाणी , पटवार मण्डल रोयला, तहसील खण्डेला के खसरा नम्बर 6, 5, 4, 7, 8 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा, फर्द मौका पटवारी व ग्रम रोयला में अवस्थित/ प्रचलित रास्तों का विवरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को प्रेषित किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर ने आदेश क्रमांकः राजस्व/2016/प.म.–रोयला/02 दिनांक 4.1.2017 से माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.16 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.16 एवं राजस्व /2016/4328–53 दिनांक 21.11.16 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार , खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार खण्डेला को संलग्न् प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि

संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगें ।

क्र. सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्रम	खसरा नं	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है.में)
1.	रोयला	नेहरों की ढाणी	06	0.02 हैक्टेयर
			05	0.05 हैक्टेयर
			04	0.05 हैक्टेयर
			07	0.01 हैक्टेयर
			08	0.04 हैक्टेयर

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये उसमें तथा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना गुपचुप में अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 8 में से 0.04 हैक्टेयर में रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.7.2017 को हुई ओर तब अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः अपील के गुणावगुण को देखते हुये न्याय हित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे । उनका कहना था कि भूमि खसरा नम्बर 8 जो कि अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि है, जिस पर कोई भी रास्ता चालू नहीं है तथा खसरा नम्बर 8 के आगे उक्त रास्ते को बन्द दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 8 के संबंध मे जो सार्वजनिक रास्ता होने का तथ्य अंकित किया है वह वास्तविक तथ्यों के विपरीत है । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 8 ग्रम नेहरों की ढाणी की भूमि के संबंध मे नियमित राजस्व वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष विचाराधीन है जिसमें दिनांक 5.7.16 को स्थगन आदेश पारित कर आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.81 हैक्टेयर के मौके की यथास्थिति बनाई रखी गई है । नियमित राजस्व वाद में तहसीलदार खण्डेला भी पक्षकार थे, लेकिन तथ्यों को छिपाते हुये तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की है ।

उनका मुख्य रूप से कहना था कि अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 24.4.2017 निरस्त किया जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.

टी. 2008 पेज 729, आर.आर.डी. 1984 पेज 45, आर.आर.डी. 1984 पेज 111, आर.आर. डी. 1984 पेज 104 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं करने एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपनाया जाकर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण मे विवाद तहसीलदार की अभिशंषा पर अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2017 पारित किया गया है । अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति कि उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना गुपचुप में अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 8 में से 0.04 हैक्टेयर में से रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है एवं खसरा नम्बर 8 ग्रम नेहरों की ढाणी की भूमि के संबंध मे नियमित राजस्व वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष विचाराधीन है जिसमें दिनांक 5.7.16 को स्थगन आदेश पारित कर आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.81 हैक्टेयर के मौके की यथास्थिति बनाई रखी गई है, को अनदेखा किया गया है । अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2017 पारित किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को नोटिस जारी किये एवं न ही उन्हें सुना गया तथा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा महेन्द्र सिंह बनाम भगवाना उनवानी टी. आई. प्रार्थना पत्र में दिनांक 5.7.2016 को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 0.81 हैक्टेयर के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया था, को नजरन्दाज किया गया है । हम समझते हैं कि किसी भी प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके अधिकारों के प्रतिकूल तथा उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध है । इसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 4.1.2017 को विधिसम्यक नहीं कहा जा सकता । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 4.1.2017 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 0.04 हैक्टेयर में से रास्ता कायम करने की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, टी.आई. प्रार्थना पत्र में पारित स्थगन आदेश दिनांक 5.7.16 को दृष्टिगत रखते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय करने हेतु उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 4.1.2017 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 0. 04 हैक्टेयर में से रास्ता कायम करने की हद तक निरस्त किया जाता हैं तथा अपीलान्ट

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, टी.आई. प्रार्थना पत्र में पारित स्थगन आदेश दिनांक 5.7.16 को दृष्टिगत रखते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 29.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर